



राजस्थान आवासन मण्डल


क्रमांक : मुख्य अभियन्ता मु0 प्रकोष्ठ/2017-18/409

दिनांक : 12.02.2018

कार्यालय आदेश


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 को कार्यालय आदेश क्रमांक वित प्रकोष्ठ/2012-13/578 दिनांक 28.03.2013 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किया गया है। पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक 1348 दिनांक 05.02.2013 क्रमांक 3428 दिनांक 18.02.13 एवं क्रमांक 3548 दिनांक 01.03.13 एवं 1680 दिनांक 30.03.2016 को अतिक्रमण करते हुए एतद्वारा श्री अनिल कुमार रावत अति0 मुख्य अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके द्वारा (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 क) में प्रकाशित राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) की अधिसूचना के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग-4 (ग) उपखण्ड-(1) में जनवरी 2013 को प्रकाशित सामान्य कानूनी नियम वित (जी एण्ड टी) की अधिसूचना के नियमों के कर्तव्य एवं सुनिश्चित किये गये दायित्वों की राजस्थान आवासन मण्डल में पालना करायी जायेगी ।

विधान के प्रावधान अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवासन मण्डल की समस्त गतिविधियों की सूचना/अधिसूचना एवं निविदा के अपलोड करने हेतु श्री वी.के माथुर अति0 मुख्य अभियन्ता की सेवा निवृत्ति पश्चात श्री अनिल कुमार रावत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को नोडल अधिकारी एवं श्री अनुज माथुर सिस्टम एनालिस्ट (सयुक्त निदेशक) को, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को उप नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) 12.2.18

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 उप-शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4 मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 5 सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त-मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8 वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 9 उप आवासन आयुक्त वृत.....रा0आ0म0.....
- 10 आवासीय अभियन्ता खण्ड.....रा0आ0म0.....को स्वयं के स्तर राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रण का प्रकाशन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11 जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी वसूली वृत.....राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 13 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाकर सभी को ई-मेल करें।
- 14 रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) 12.2.18